रहे सतर्क | मंदिर व फैक्टरी प्रबंधन ने लगाए चेतावनी के पोस्टर

पाटबाबा मंदिर के पास 4 तेंदुए का मूवमेंट

नवभारत,जबलपुर। केंद्रीय सुरक्षा संस्थान जीसीएफ (गन कैरिज फैक्ट्री) और पाटबाबा मंदिर के पास के जंगलों में पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ की दहशत लोगों में खासी व्याप्त है। इस इलाके में करीब 4 तेंदुए की लगातार मूवमेंट को गंभीरता से लेते हुए पाट बाबा मंदिर समिति के और जीसीएफ प्रबंधन ने मंदिर के गेट और आसपास के मुख्य जगहों पर चेतावनी के पोस्टर लगा दिए हैं जिसमें अपील की गई है कि अंधेरा होने के बाद और अकेले मंदिर परिसर के पास न घूमें। उधर मंदिर समिति की सूचना के बाद वन विभाग की टीम और फैक्टरी के सुरक्षा गार्ड भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम को 24 घंटे निगरानी के निर्देश आला अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं और कहा गया है कि वे तेंदुओं का रेस्क्यू करें।

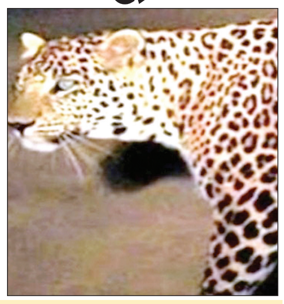

तेंदुओं की संख्या में हो रहा इजाफा

राज्य वन अनुसंधान केंद्र (एसएफआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 17 तेंदुए शहरी क्षेत्र में दर्ज किए गए थे। अनुमान है कि बीते दो वर्षों में यह संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी होगी। जिसका नतीजा है कि पाटबाबा इलाके पास 4 तेंदुआ देखे गए हैं। इसके अलावा डुमना, खमरिया, ईडीके, नयागांव, टिकरा, घाना, रिठौरी, एलपीआर और फूड पार्क जैसे इलाकों में पहले से ही तेंदुए देखे जा रहे हैं।

5 साल बाद पति-पत्नी में हुआ समझौता

जबलपुर। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। दोनों के बीच गलतफहमी हो जाए तो रिश्ता टूटते देर नहीं लगती। ऐसे ही गलतफहमी का शिकार पति गोंदिया निवासी और जबलपुर निवासी पत्नी में हो गई, जो पिछले पांच सालों से अलग रह थे। साथ रहने का मामला कुटुंब न्यायालय में लंबित था। जिसका निराकरण आज 13 सितंबर को लोक अदालत में किया गया। तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुकेश कुमार दांगी ने दोनों पक्षों को समझाइश और साथ रहने कहा, श्री दांगी की समझाने के बाद दोनों पति-पत्नी ने पुराने गिले शिकवे भुला कर एक होने का फैसला लिया, जज साहब के सामने दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और हमेशा साथ रहने का वादा किया। दोनों अपने घर चले गए। मामले में खास बात यह रही की जज साहब ने स्वयं दोनों को मिठाई खाने कुछ राशि भी प्रदान की।

दफ्तरों के गलियारे

हम लोगों ने आखिर कौन सा गुनाह कर दिया था मैडम....

मैडम.. जाना तो था ही क्योंकि आपका तो पदोन्नत होकर कलेक्टर के रूप में तबादला दूसरे जिले में हो गया था, हम सभी के मन में कोई कसक क्यों छोड़कर चलीं गईं। आखिर हम लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तो था जो हम सभी के प्रत्योजित अधिकार समाप्त करने के आदेश जाते-जाते जारी कर दिए। हम लोग तो आपके एक आदेश पर आपके सामने हाजिर हो जाते थे। ये सारी बातें लाल बिल्डिंग के गलियारों में उस वक्त हुईं जब निगम के अधिकारियों को ये पता चला कि उन्हें प्रदत्त प्रत्योजित अधिकार निगमायुक्त महोदया ने समाप्त कर दिए हैं। अब यहां कुछ भी बातें हो लेकिन महोदया को जो आदेश करना था वो तो करके चलीं गईं लेकिन लाल बिल्डिंगों के कई ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए ये आदेश एक बड़ी रूकावट बना जो ये सोचकर बैठे थे कि निगमायुक्त के तबादले के बाद फटाफट वे अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाकर अपने काम को अंजाम दे देते। बहरहाल ऐसे जिम्मेदारों के पूरे मंसूबों पर पानी फेरते हुए निगमायुक्त महोदया ने अधिकारियों के प्रत्योजित अधिकार समाप्त कर दिए और जबलपुर नगर निगम को देश के भीतर स्वच्छता में 5वीं रैंक दिलाकर शहर से टाटा बाय बाय कर लिया। लिहाजा देश के भीतर बड़ी सफलता दिलाने को लेकर निगम के कई अधिकारियों ने निगमायुक्त के कार्यकाल की सराहना भी की।

विधिजगत को भी कर दिया मजबूर..!

चंद पैसे के लाइक और पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया के इनफ्लुएंसर अब न्यायपालिका को तक आंखे दिखाने लगे हैं। जिस पर अब राज्य की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने भी चिंता जाहिर की है। दरअसल, राज्य की सबसे बड़ी अदालत ने आमजनों की सहूलियत के लिए क्रिमिनल केसों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर एक नई पहल को हवा दी थी। जिस पर अब तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कारण, सोशल मीडिया के चर्चित प्लेटफार्म जैसे यूट्यूब , मेटा जैसे अन्य प्लेटफार्मो पर पब्लिसिटी कमाने के लिए इनफ्लुएंसर इन क्रिमिनल केसों की प्रोसिडिंग से छेड़छाड़ कर इन्हें नए ढंग से प्रस्तुत कर सरासर अदालत की अवमानना करने पर उतारू हो गए। जिस पर बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने कड़ी आपत्ति जताई है। वही सुनवाई के दौरान जजों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही प्रोसिडिंग की क्लिप को देखकर हंसते हुए कहा कि हमारे कोर्ट में ये सब भी हो गया और हमें पता ही नहीं चला.. ! वहीं सुनवाई से फ़ारिग होने के बाद वकीलों ने दबी आवाज से सोशल मीडिया को आस्तीन का सांप बताया।

आखिर जुगाड़ करके साहब ने बचा ली अपनी कुर्सी

शिक्षा विभाग के एक बड़े साहब का विगत दो माह पूर्व तबादला हुआ था, जहां भोपाल से बुलावा आने के बाद भी साहब ने कुर्सी नहीं छोड़ी। विदित है कि साहब के रहते हुए जबलपुर में शिक्षा माफिया के ऊपर बड़ी कार्यवाही भी हुई थी, शायद इसी काम को लेकर शासन ने उनकी तरक्की भोपाल में कर दी होगी। लेकिन शासन के निर्देशानुसार स्थानांतरण आदेश आने के बाद भी साहब जिले में डटे रहे। जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन ना जाने साहब को जबलपुर की कुर्सी से ऐसा कौन सा मोह था कि उन्होंने शासन के निर्देश को भी दरकिनार कर दिया। साहब का भोपाल से बुलावा आने के बाद उन्होंने अपना जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी कुर्सी बच जाए। तबादला हाथ में लिए साहब कई दिग्गज नेताओं की शरण में भी पहुंचे थे और अपना तबादला रुकवाने गुहार लगाई थी। इसके साथ ही एक विशेष संगठन से भी साहब का पुराना नाता रहा है, उसके बल पर भी साहब अपनी कुर्सी बचाने के जुगाड़ में लगे रहे। जिसके बाद साहब अपनी कुर्सी बचाने में सफल हुए और अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। अब देखना होगा कि साहब जिले में शिक्षा के स्तर को सुधार पाते हैं या दोबारा से बुलावा आने पर रवानगी लेते हैं या नहीं।

एक टीआई की दो थानों में पोस्टिंग वाली स्क्रिप्ट बनी चक्करघिन्नी

पुलिसिया गलियारों में एक टीआई की दो थानों में पोस्टिंग वाली स्क्रिप्ट चकरघिन्नी बन गई। हुआ यूं कि एक थाने की पुलिस ने शातिर वाहन चोर को दबोचा और मामला दो थानों से जुड़ गया। कार्रवाई जलपरी वाले थाने की पुलिस ने की जिसके बाद पुलिस की स्क्रिप्ट बनी और मामला नर्मदा तट वाले थाने से जुड़ गया। एक कार्रवाई, एक स्क्रिप्ट में थानेदार की पोस्टिंग दो अलग-अलग थानों में दर्शायी गई, ये भले ही त्रुटि के चलते हुआ लेकिन जब स्क्रिप्ट महकमें के गलियारों में घूमी और गौर करने वालों ने कार्रवाई पर नजर दौड़ाई तो साहब का नाम तो सहीं था लेकिन उनकी पोस्टिंग दूसरे थाने में दिखी, जिसे देखकर लोग भौंचक रह गए। कुछ तो यह भी कहते नजर आये कि पकड़ा गया आरोपी 34 की उम्र में 26 जुल्मों का बादशाह बन बैठा था और नर्मदा तट वाले थाने में भी उसके अपराध का काला चिट्ठा दर्ज था, जिसके चलते पोस्टिंग में भूल चूक हो गई होगी.. तो कुछ चुटकी ले कर यह भी कहते रहे कि हो सकता है कि उनकी पदस्थापना दो थानों में कर दी गई हो... ?

विवेक दुबे, धनंजय श्रीवास्तव, अमन पटेल, अजहर खान

अधिवक्ता यूनीफार्म में रील बनाकर अपलोड करने वालों पर होगी कार्यवाही

जबलपुर। अधिवक्ता यूनीफार्म में तरह-तरह की रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले को मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने गंभीरता से लिया है। मप्र बार काउंसिल के वाईस चेयरमेन आरके सिंह सैनी ने मामले में कड़ा रूख अख्तियार करते हुए रील बनाकर डालने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी है एसबीसी वाईस चेयरमेन व पूर्व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने कहा है कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि कुछ अधिवक्ता, अधिवक्ता यूनिफॉर्म पहनकर तरह-तरह की रील बनाकर सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वॉटसेप एवं अन्य पर डालते है। जिससे नोबल प्रोफेशन कहे जाने वाले अधिवक्ता व्यवसाय की छवि समाज में धूमिल हो रही है। साथ ही साथ यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ अधिवक्ता न्यायाधीश से नजरें बचाकर कोर्ट रूम में रील बनाते है और सोशल मीडिया पर डालते है जो कि एक बहुत ही गंभीर मामला है। श्री सैनी ने कहा कि जो भी अधिवक्ता, यूनिफॉर्म पहनकर सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वॉटसेप एवं अन्य पर रील बनाकर डालते है तो उन अधिवक्ताओं पर मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

चेक बाउंस मामले में सीआरपीसी के तहत पीड़ित को मिलना था मुआवजा

▶ हाईकोर्ट ने मानी न्यायालय की गलती

जबलपुर। चेक बाउंस मामले में आरोपी को न्यायालय ने सजा से दंडित किया परंतु सीआरपीसी के तहत मुआवजा का आदेश जारी नहीं किया। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा ने न्यायालय की गलती से स्वीकार करते हुए अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त मुआवजे के तौर पर अपीलकर्ता को साढ़े तीन लाख रुपये मुआवजे के तौर पर प्रदान करे।

सीहोर निवासी विनोद कुशवाहा की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया था कि जमीन के सौदे के नाम पर अभियुक्त ने भगवत ने उसे ढाई लाख रुपये थे। समझौता पक्ष में जमीन के असली मालिक के फर्जी हस्ताक्षर उसके द्वारा किये गये थे। न्यायालय ने अभियुक्त को धोखाधड़ी व जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम तीन साल की सजा से दंडित किया था। न्यायालय के द्वारा उसे सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजा के तौर पर ढाई लाख रुपये प्रदान करने के आदेश जारी नहीं किये गये। इसके अलावा अभियुक्त ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।

दोनों अपील की संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पाया कि अभियुक्त अपनी सजा पूरी कर चुका है। न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजा की राशि के संबंध में आदेश पारित नहीं करते हुए गलती की है। एकलपीठ ने अभियुक्त को निर्देशित किया है कि वह मुआवजा के रूप में विनोद कुशवाहा को दो माह में साढ़े तीन लाख रुपये की राषि प्रदान करें।

हमारे चहेते नेता कहां हैं?, समर्थकों ने उठाई आवाज़

कांग्रेस की होर्डिंग में एक बार फिर से सामने आई गुटबाजी

राज्यसभा सदस्य से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को किया गया नजरअंदाज

नवभारत,जबलपुर। न राज्यसभा सदस्य, न राष्ट्रीय अध्यक्ष, न पूर्व विधायक और न ही पूर्व अध्यक्ष.. होर्डिंग में दिखे तो सिर्फ विधायक लखन घनघोरिया और पूर्व विधायक तरूण भनोट.. जिसने शहर में एक बार फिर से शहर कांग्रेस में गुटबाजी को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के ही ऐसे कई कार्यकर्ता, नेता ये कहते शनिवार को नजर आए कि हमारे चहेते नेता कहां हैं क्या उनको होर्डिंग में जगह नहीं दी जा सकती थी.... पूरा मामला कांग्रेस के नेतृत्व में शहर में 14 सितंबर को आयोजित निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को लेकर छोटी लाइन फाटक के पास लगाए गए एक बड़ी होर्डिंग से जुड़ा है। इसको लेकर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा एक बार फिर से गुटबाजी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। कांग्रेस द्वारा लगाए गए होर्डिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा, पूर्व विधायक विनय सक्सेना, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव, अमरीश मिश्रा को नजरअंदाज किया गया है। जिसके बाद इन सभी नेताओं के चहेतों में कांग्रेस को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। उधर दूसरी तरफ विरोधी राजनैतिक दल भाजपा के कई नेता भी इस होर्डिंग को लेकर चुटके लेते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि गुटबाजी देखना हो तो कहीं मत जाओ सिर्फ कांग्रेस को देख लो। ये होर्डिंग इसलिए भी चर्चा का विषय और बन गई क्योंकि शनिवार को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार और रागिनी नायक जबलपुर पहुंचे हैं।

बाईक चुराने वाले को एक साल की सजा

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री निर्मला पटेल की अदालत ने मोटर साइकिल चोरी करने के आरोपी दीपक कश्यप को एक साल की सजा व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत को एडीपीओ सिंचन कंसाना ने बताया कि 17 जून 2024 को फरियादी की मोटर साइकिल एमपी 20 एमबी-2857 को उनके घर के सामने से चोरी हो गई थी। बेलबाग पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी दीपक कश्यप को हिरासत में लेकर उसके पास से चुराई हुई मोटर साइकिल बरामद की थी। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

छात्र के साथ लूट

जबलपुर। गोहलपुर थाना अंतर्गत रद्दी चौकी में एक्टिवा सवार लुटेरों ने एक छात्र को निशाना बनाते हुए उसका मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि जाहिद हुसैन 20 वर्ष निवासी चार खम्बा बूढी खैरमाई के पास ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कक्षा 12 वी सिम्बायसिस स्कूल आधारताल में पढाई करता है बीती रात रद्दी चौकी से गोहलपुर चौराहा तरफ हाथ में मोबाईल चालाते आ रहा था लगभग 01/30 बजे यूनिटी जिम के पास रद्दी चौकी से गोहलपुर चौरहा के बीच पहुंचा कि पीछे से सफेद एक्टिवा में सवार तीन अज्ञात लडके आये और उसके हाथ से आई फोन मोबाईल झपट्कर छीनकर भाग गये। आई फोन मोबाइल कीमती लगभग 45000 रूपए का है।

वृद्ध की हत्या कर कातिल दरवाजा बंद कर हुआ फरार

▶ दो दिन से घर में लगा ताला पुलिस ने तुडवाया, खून से सनी लाश मिली मदर टेरेसा नगर में वारदात, बेटे पर शक की सुई घूमी

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत मदर टेरेसा नगर में वृद्ध की हत्या करने के बाद कातिल दरवाजा बाहर से बंद कर चला गया। बदबू आने पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो खून से सनी लाश मिली। हत्या किसने और किन कारणों से की है इसका फिलहाल पता नहीं चल सका हैं लेकिन पुत्र पर शक की सुई घूम रहा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक अजीत सिंह पिता गुरुदित्तमल 82 वर्ष निवासी मदर टेरेसा का अपने बेटे अमरजीत 45 साल के साथ रहते थे। दो दिन से घर में ताला लगा था। शनिवार को घर के सामने बदबू आने लगी तो पड़ोसी राजू यादव 52 वर्ष ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची रिश्तेदारों को बुलवा कर ताला तुड़वाया गया। अजीत सिंह खून से लथपथ पलंग पर लेटा था। मामले की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता एवं नगर पुलिस अधीक्षक माढोताल बी एस गोठरिया, थाना प्रभारी माढोताल नीलेश दोहरे मौके पर पहुंच गए थे। मौका-ए-वारदात पर एफएसएल टीम भी पहुंची। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।

गले, सिर में चोट, किचिन में खून लगी हथौडी मिली

अजीत सिंह घर में सामने वाले कमरे की बेड में मृत अवस्था में पड़े थे जिनके गले सिर माथा में चोट है पूरा शरीर फूला हुआ। कमरे के पीछे किचिन के रैक पर एक हथौड़ी पड़ी हुई मिली जिस पर खून लगा हुआ था।

मोबाइल बंद, कल कॉलोनी में दिखा था

मृतक के बेटे अमरजीत का मोबाइल स्विच आफ है। संदेही लड़के को कॉलोनी वालों ने शुक्रवार को कॉलोनी में घर के सामने देखा था। शव लगभग दो दिन पुरानी लग रही है जिसके चलते पुत्र संदेह के दायरे में आ गया फिलहाल पुलिस अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है।

पत्नी का हो चुका निधन, बड़ा बेटा पुणे में प्रिंसिपल

मृतक की पत्नी का 10 साल पहले निधन हो चुका है। मृतक का बड़ा लड़का पुणे में केवी में प्रिंसिपल है छोटे लड़के अमरजीत की शादी नहीं हुई थी पिता के साथ ही रहता था।

इनका कहना है

हथौडी से हमला कर हत्या की गई है। अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है मामले की जांच चल रही है। मृतक के पुत्र पर हत्या का संदेह है जिसकी तलाश कराई जा रही है।

आयुष गुप्ता
एएसपी, शहर

हमले में घायल शराब दुकान मैनेजर की मौत, हत्या की धाराएं बढ़ी

तीन माह पूर्व शराब दुकान पर बदमाशों ने किया था पथराव

जबलपुर। विजय नगर थाना अंतर्गत आईएसबीटी बस स्टैंड के पास एक शराब दुकान पर तीन माह पूर्व बदमाशों ने पथराव करने के साथ खाली शराब की बोतलों से हमला किया था। जिसमें दुकान मैनेजर दिलीप सग्गू गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब मामले में पुलिस ने हत्या की धाराएं बढ़ा दी हैं। जानकारी के अनुसार दिलीप सग्गू (50) विजय नगर स्थित आईएसबीटी बस स्टैंड के पास संचालित शराब दुकान में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। तीन माह आठ जून को मदन जायसवाल, सत्यम पंडित, पीयूष चडार अपने साथियों के साथ दुकान पहुंचे और फ्री में शराब की मांग करने लगे थे। स्टाफ ने मैनेजर की अनुमति के बिना शराब देने से मना कर दिया था इसके बाद बदमाश दिलीप के पास पहुंचे और शराब मांगने लगे थे जब उन्होंने भी मना कर दिया, तो बदमाशों ने पथराव शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट तक पत्थर और बोतलें फेंकी गई थीं। एक बड़ा पत्थर सीधे दिलीप के सिर पर लग गया था। इसके बाद बदमाश भाग निकले। घायल दिलीप को दमोह नाका स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें नागपुर रेफर किया गया था। इसके बाद घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उनकी इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। प्रकरण में तीन आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके है जबकि अन्य फरार हैं जिन्हें पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। वहीं अब प्रकरण में हत्या की धारा बढ़ा दी गई हैं।

सैलून दुकान में चाकूबाजी युवक की हालत नाजुक

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत नेता कालोनी में सैलून दुकान में बदमाशों ने एक युवक को चाकू से गोद दिया हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि जयप्रकाश सिंह 35 वर्ष निवासी नेता कालोनी साहू किराना के पास अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह फायनेंस कम्पनी में जॉब करता है घर के पास ही सैलून की दुकान में बाल कटाने गया था उसी समय उसका भतीजा नीलेश बाल कटवाने आया तभी मोहल्ले के प्रिंस पटैल एवं क्रिस वहां पर आये और पुरानी बुराई को लेकर उसके भतीजे के साथ गाली गलौज करते हुये नीलेश को पकड़कर खींचने लगे वह सैलून के अंदर से बीच बचाव करने लगा, प्रिंस ने जान से मारने की नियत से चाकू से हमलाकर नीलेश के पेट में चोट पहुंचा दी, क्रिश ने भी जान से मारने की नियत से चाकू से नीलेश पर हमला किया नीलेश ने अपना बचाव किया जिससे चाकू नीलेश की दाहिने हाथ की उंगली में लग कर चोट आयी। लोगों की भीड़ इकट्ठा देख दोनों उसे एवं नीलेश को जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57